# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 84 / 2026 निर्णय दिनांक 27.04.2026
ऑनलाईन नम्बर 2026 / 161

सुबेसिंह पुत्र हरिराम जाति जाट निवासी बरालू तहसील लुहारू जिला भिवानी

—वादी—

**बनाम**

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भूराजस्व श्रीडूंगरगढ 2. इन्द्रसिंह 3. जलेसिंह 4. मीरसिंह पुत्रगण हरिराम 5. शमशेरसिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति जाट निवासी बरालू तहसील लुहारू जिला भिवानी।

—प्रतिवादीगण—

**—उपस्थितिः—**

1. श्री राजूराम बाना अभिभाषक वादी।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।
3. श्री के. के. पुरोहित अभिभाषक प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5।

**वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीए व 136 भू—राजस्व अधिनियम**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी की और से वादपत्र निम्न आधारो पर सादर प्रस्तुत है कि वादी के नाम से खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 1638/63 तादीदी 6.3220 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 8 तादादी 0.3000 हैक्टेयर रोही श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है जिसको वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ने संयुक्त रूप से खरीद किया था। एवं खसरा नम्बर 62 तादादी 1.1300 हैक्टेयर को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 ने संयुक्त रूप से खरीद किया था। वादगत खेतो को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने विक्रेता हनुमान पुत्र काहनीराम से विक्रय पत्र दिनांक 09.05.2001 एवं 27.07.2001 से खरीद किया था जिनकी अलग अलग विक्रय पत्र करवाते समय भूलवंश विक्रय पत्र दिनांक 27.07.2001 मे नाम सुखदेवसिंह दर्ज हो गया जबकि विक्रय पत्र दिनांक 09.05.2001 में नाम सुबेसिंह अकित है जो वादी के दस्तावेजो में एवं अन्य राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादगत खेतो के खरीद के समय खसरा नम्बर 1638/63 तादीदी 6.3220 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 8 तादादी 0.3000 हैक्टेयर में विक्रयपत्र में भूलवंश सहवन से वादी का नाम सुखदेवसिंह अकित कर दिया जबकि खसरा नम्बर 62 तादादी 1.1300 हैक्टेयर के विक्रय पत्र में वादी का सही नाम सूबेसिंह दर्ज कर दिया उसी अनुसार खसरा नम्बर 1638/63 तादीदी 6.3220 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 8 तादादी 0.3000 हैक्टेयर में वादी का नाम सुखदेवसिंह एवं खसरा नम्बर 62 तादादी 1.1300 हैक्टेयर में वादी का नाम सूबेसिंह चला आ रहा है। वादी का नाम खसरा नम्बर 1638/63 तादीदी 6.3220 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 8 तादादी 0.3000 हैक्टेयर के विक्रय पत्र लिखवाते समय भूलवंश सहवन से सुखदेवसिंह अकित होने से राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम सुखदेवसिंह दर्ज चला आ रहा है जबकि वादी का सही एवं वास्तविक नाम सूबेसिंह है जो वादी के पक्ष में विक्रय पत्र दिनांक 27.07.2001 में अकिंत है। वादी का नाम खसरा नम्बर 62 तादादी 1.1300 हैक्टेयर रोही श्रीडूंगरगढ़ में एवं विक्रय पत्र दिनांक 27.07.2001 में नाम सूबेसिंह दर्ज है जो वादी का सही नाम है वादी के आधार कार्ड एवं पहचान के दस्तावेज भी सूबेसिंह के नाम से बने हुए

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

है। वादी का नाम खसरा नम्बर 1638/63 तादादी 6.3220 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 8 तादादी 0.3000 हैक्टेयर में नाम सुखदेवसिंह दर्ज होने एवं खसरा नम्बर 62 तादादी 1.1300 हैक्टेयर रोही श्रीड्गरगढ़ में नाम सुबेसिंह दर्ज होने एवं वादी के पहचान के दस्तावेज सुबेसिंह नाम से होने से वादी को कई तरह की परेशानिया हो रही है इसलिए वादी को खसरा नम्बर 1638/63 तादादी 6.3220 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 8 तादादी 0.3000 हैक्टेयर में नाम सुखदेवसिंह के स्थान पर सुबेसिंह करवाना आवश्यक हो गया है। वादी का नाम खसरा नम्बर 1638/63 तादादी 6.3220 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 8 तादादी 0.3000 हैक्टेयर में सुखदेवसिंह होने एवं खसरा नम्बर 62 तादादी 1.1300 हैक्टेयर में नाम सुबेसिंह होने एवं वादी के पहचान के दस्तावेजो में नाम सूबेसिंह होने से वादी अपना सही नाम सूबेसिंह करवाने का अधिकारी है। वादी ने अपना नाम सुखदेवसिंह की जगह सुबेसिंह सही करवाने के लिए प्रतिवादी से सम्पर्क किया तो प्रतिवादी ने नाम सही करने से इनकार कर दिया प्रतिवादी के इन्कार करने के दिन से ही वादी को वाद हेतु हासिल है। वादी ने उक्त दावा में राजस्थान सरकार को पक्षकार संयोजित किया गया है स्टैट के विरूद्ध दावा दायर करने से पूर्व दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है स्टैट को दो माह का नोटिस दिया जाकर दो माह का इन्तजार किया जाता है तो केसीसी का सीजनल समय निकल जायेगा और वादी को अपूरणीय क्षति होगी। उक्त दावा में स्टैट के विरूद्ध कोई अपेक्षित अनुतोष नही मागा गया है स्टैट द्वारा राजस्व रिकार्ड का संधारण एवं रिकार्ड में संशोधन किया जाता है इसलिए स्टैट को पक्षकार संयोजित किया गया है। वादगत खेत खसरा नम्बर 1638/63 तादीदी 6.3220 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 8 तादादी 0.3000 हैक्टेयर रोही श्रीडूंगरगढ़ के घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती का है जिसका श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार श्रीमान् हाजा न्यायालय को प्राप्त है। वादी का दावा पूर्ण न्याय शुल्क एवं समयावधि के अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः वादी का दावा स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार से आदेश फरमानें की कृपा करें ।

(क) कि वादी खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 1638/63 तादीदी 6.3220 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 8 तादादी 0.3000 हैक्टेयर रोही श्रीडूंगरगढ़ में सुखदेवसिंह की जगह सुब्बेसिंह घोषित किया जावें ।

(ख) कि प्रतिवादी को आदेशित किया जावे कि वादी खेत खसरा नम्बर 1638/63 तादीदी 6.3220 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 8 तादादी 0.3000 हैक्टेयर रोही श्रीडूंगरगढ़ में सुखदेवसिंह की जगह सुब्बेसिंह दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में संशोधन करें।

(ग) कि अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादी हो अथवा दौराने दावा हितकर वादी हो जावें वह भी आज्ञाप्त फरमाया जावें । ।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 द्वारा जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब दावा पेश कर दावा स्वीकार किये जाने पर अपनी अनापत्ति जाहिर की गई। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 पेश किया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 स्वीकार किया जाकर संशोधित दावा पेश किये जाने की अनुमति प्रदान की गई। वादी अधिवक्ता द्वारा संशोधित वाद पेश किया गया। स्टेट की ओर से पैरोकारराज द्वारा जवाबदावा पेश किया गया। वाद में विवाद्यक बिन्दु नहीं होने के कारण तनकीहात कायम नहीं की गई। वादी की ओर से साक्ष्यवादी PW-1 में स्वयं का शपथ पत्र पेश किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

वादी के बयान लेखबद्ध किये गये व वादी द्वारा दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये। जिरह प्रतिवादीगण शून्य। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में स्टेट एवं प्रतिवादीगण को वादी वाद स्वीकार करने में आपत्ति नहीं होने व वादी का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

**निर्णय**

खेत खसरा नम्बर 1638/63 तादीदी 6.3220 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 8 तादादी 0.3000 हैक्टेयर रोही श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम ''सुखदेवसिंह'' के स्थान पर ''सुबेसिंह'' घोषित किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

**निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।**

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़

उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

# अन्तिम डिक्री मुकदमें इन्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूंगरगढ

पीठासीन अधिकारी शुभम शर्मा आरएएस

उनवान

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भूराजस्व श्रीडूंगरगढ 2. इन्द्रसिंह 3. जलेसिंह 4. मीरसिंह पुत्रगण हरिराम 5. शमशेरसिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति जाट निवासी बरालू तहसील लुहारू जिला भिवानी।

**बनाम**

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भूराजस्व श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

मुकदमा नम्बर 195/2024

दावा बाबत खाताः घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती

निर्णय दिनांक 27.04.2026

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी श्री राजूराम बाना अधिवक्ता मिनजानिब मुदई व स्टेट की ओर से पैरोकारराज एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 की ओर से श्री के.के. पुरोहित अधिवक्ता मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि 1638/63 तादीदी 6.3220 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 8 तादादी 0.3000 हैक्टेयर रोही श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम "सुखदेवसिंह" के स्थान पर "सुबेसिंह" घोषित किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।

लीज....0.....मुबलिग.....0.....बाबत.....0.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...0..फीसदी सालाना आज को जारी.....तारीख वसूलयाबी.....को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 27 माह 04 सन् 2026 को जारी किया गया ।

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

वाद के खर्चे

| वादी | | प्रतिवादी | |
|---|---|---|---|
| | रूपया | | रूपया |
| 1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प | 0 | 1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प | 0 |
| 2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प | 0 | 2. अर्जी के लिए स्टाम्प | 0 |
| 3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प | 0 | 3. प्लीडर की फीस | 0 |
| 4.....रूपये पर प्लीडर की फीस | 0 | 4. साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता | 0 |
| 5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता | 0 | | |
| 6.कमिश्नर की फीस | 0 | 5. आदेशिका की तामिल | 0 |
| 7.आदेशिका की तामिल | 0 | 6. कमिश्नर की फीस | 0 |
| योग | 0 | योग | 0 |

उपखण्ड अधिकारी,
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)